न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 142/2022 बउनवानी रामावतार गुप्ता बनाम लो.सू.अधि.एवं अति० जिला कलेक्टर, स०मा० पुत्र श्री सूरजमल गुप्ता निवासी गोत्तम कॉलोनी, आकाशवाणी के पीछे सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/227

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
6.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. भू.अभिलेख शाखा मे प्रतिनियुक्ति पर रहे श्री महेश चन्द गुप्ता नायब तहसीलदार का वर्ष, 2015 से 2018 में उनके कार्यकाल में उनके द्वारा यात्रा भत्ता बिलो व मेडिकल बिलों का किये गये भुगतान के बिलों की प्रमाणित छायाप्रति मद 2029 में।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(109)/सूकाअ/2022/1321 दिनांक 16.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2022 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना निजी श्रेणी मे आने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत देय नही है। उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय छतीसगढ, बिलासपुर द्वारा रीट पीटीशन संख्या 768/2013 मे पारित निर्णय मे यात्रा भत्ता बिल इत्यादि को निजी जानकारी माना गया है। जिसके संबंध में अपीलान्ट को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1185 दिनांक 14.10.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना निजी श्रेणी मे आने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत देय नही है। इसलिए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करायी गयी है। यात्रा भत्ता बिल की सूचना [illegible] की होने की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय छतीसगढ, बिलासपुर द्वारा रीट पीटीशन संख्या 768/2013 मे पारित निर्णय मे भी की गयी है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:40:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर